बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अ धि सू च ना ।।

पटना–15, दिनांक : जून, 2016

संख्या : 1/सी0–1028/2010–सा0 प्र0–............/श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (बी एच : 96) के पदाधिकारी होने के कारण अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति की पात्रता दिनांक 01.01.2012 को परिपक्व हुई थी। श्री श्रीनिवास तत्समय कर्नाटक राज्य में अन्तः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर थे। उक्त अवधि में अनिवार्य कार्यों से निष्पादन से सम्बद्ध रहने के कारण कर्नाटक सरकार द्वारा उन्हें अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–IV के लिए विरमित नहीं किया जा सका था । फलस्वरुप उनके द्वारा प्रासंगिक प्रशिक्षण समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।

2. कर्नाटक राज्य की अन्तः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति से बिहार सवंर्ग (पैतृक संवर्ग) में वापस आने के उपरान्त श्री श्रीनिवास द्वारा दिनांक 14.08.2014 को अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–IV को पूरा किया गया। तद्न्तर, विभागीय अधिसूचना संख्या–14937 दिनांक 03.11.2014 द्वारा उन्हें अधिसमय वेतनमान में विधिवत् प्रोन्नति प्रदान की गयी ।

3. अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त उपर्युक्त प्रोन्नति को अनुमान्यता की वास्तविक तिथि से पुनरीक्षित किये जाने के संबध में श्री श्रीनिवास द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया । प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार श्री श्रीनिवास को उनके ठीक कनीय {श्री विमला नन्द झा, भा0प्र0से0 (96) } को अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि '13.02.2012' से अधिसमय वेतनमान में अनुमान्य है।

4. वर्णित आलोक में श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (बी एच : 96) को अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि–03.11.2014 को दिनांक 13.02.2012 के भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : **1/सी0–1028/2010–सा0 प्र0** ..../पटना–15, दिनांक : **जून**, 2016

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2 प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, <u>to be exercised within one month from the date of such appointment,</u> for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

सरकार के अवर सचिव